साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

साधारण परिषद् की द्वितीय बैठक

दिनांक 09.07.2016 का

कार्यवाही विवरण

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की साधारण परिषद् की द्वितीय बैठक दिनांक 09.07.2016 को साधारण परिषद् के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची परिशिष्ट–'अ' में संलग्न है। साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 24(1) के प्रावधान अनुसार साधारण परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के एक तिहाई सदस्य से अधिक सदस्य उपस्थित होने के कारण कोरम पूर्ण है।

बैठक में सदस्यों को अवगत कराया गया कि डॉ. श्रीमति शशिप्रभा कुमार तत्कालीन कुलपति द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किये जाने/नवीन कुलपति के नाम पर विचारण का विषय एजेंडा में सम्मिलित होने के फलस्वरूप साधारण परिषद् की वर्तमान बैठक के भारसाधक सदस्य सचिव का दायित्व प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग द्वारा निर्वहन किये जा रहा है।

बैठक प्रारंभ होने के उपरांत एजेण्डा पर बिंदुवार चर्चा में निम्न निर्णय लिये गये–

एजेण्डा 1 : साधारण परिषद् की बैठक दिनांक 19 जून 2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

साधारण परिषद् द्वारा सर्वसम्मति से बैठक दिनांक 19.06.2014 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया।

एजेण्डा 2 : साधारण परिषद् की प्रथम बैठक दिनांक 19 जून 2014 में लिये गये निर्णयों का पालन प्रतिवेदन।

साधारण परिषद् द्वारा प्रथम बैठक दिनांक 19 जून 2014 में लिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 3 : प्रोफेसर सामडोन्ग लाबसन्ग तेनजिन रिमपोचे, कुलाधिपति साँ.बौ.भा. ज्ञा.अ.वि.वि. का कार्यकाल समाप्त होने संबंधी सूचना से साधारण परिषद् को अवगत कराया जाना।

विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलाधिपति प्रोफेसर सामडोन्ग लाबसन्ग तेनजिन रिमपोचे का तीन वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने संबंधी सूचना तथा प्रो. रिम्पोचे द्वारा दिनांक 10 मई 2016 को पदमुक्त मानने संबंधी पत्र से साधारण परिषद् को अवगत कराया गया।

चर्चा उपरांत साधारण परिषद् द्वारा निर्णय लिया गया कि –

1. साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 10(1) के तहत नवीन कुलाधिपति की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जावे।

2. कुलाधिपति के पद पर नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों का पैनल तैयार करने हेतु तीन सदस्यीय समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति में दो अकादमिक विद्वान तथा एक शासकीय सदस्य को शामिल किया जावे। साधारण परिषद् द्वारा समिति में सदस्यों के नामांकन हेतु साधारण परिषद् के अध्यक्ष/माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।

एजेण्डा 4 : विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु माननीय राज्यपाल सह–कुलाध्यक्ष को उपयुक्त व्यक्तियों के नामों की अनुशंसा पर विचार।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की तत्कालीन कुलपति प्रो. शशिप्रभा कुमार द्वारा दिनांक 07/09/2015 को त्यागपत्र प्रस्तुत करने के कारण कुलाध्यक्ष (माननीय राज्यपाल महोदय) द्वारा नवीन कुलपति पद की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिये गये हैं।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 की धारा 13(1) के अनुसार –

"कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी परिलब्धियों और अन्य सेवा शर्तों पर जैसे कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, साधारण परिषद् द्वारा अनुशंसा किए गए कम से कम तीन व्यक्तियों के पैनल में से की जाएगी।"

ua

राज्य शासन द्वारा कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी पैनल में उपयुक्त विद्वानों की खोज हेतु सर्च कमेटी का गठन दिनांक 25/01/2016 को किया गया। सर्च कमेटी का प्रतिवेदन (मोहरबंद लिफाफा) साधारण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

सर्च कमेटी की रिपोर्ट का मोहरबंद लिफाफा परिषद् की बैठक में खोला गया।

साधारण परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत निम्न तीन व्यक्तियों का नाम अनुमोदित कर कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कुलाध्यक्ष को क्रमानुसार अनुशंसित किया गया –

1. *प्रो. यजनेश्वर शास्त्री*
2. *प्रो. कुसुम जैन*
3. *प्रो. डी.के. मोहंता*

विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु उक्त पैनल में सम्मिलित तीनों व्यक्तियों के नाम तथा विस्तृत जीवन–वृत्त अनुशंसा सहित कुलाध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा 5 : कार्यपरिषद् द्वारा तैयार अध्यादेश साधारण परिषद् के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना।

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 39 सहपठित धारा 40(1) तथा 40(2) के तहत निम्न अध्यादेश जो कार्यपरिषद् द्वारा तैयार किये गये है, साधारण परिषद् के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये गये–

1. ACADEMIC FEE AND SCHOLARSHIP RULES, 2016
2. ENTRANCE EXAMINATION RULES, 2016
3. EXAMINATION RULES (For Diploma, PG, M. Phil. & Ph. D. Courses) , 2016
4. RULES AND REGULATIONS GOVERNING HOSTEL ADMINISTRATION, 2016

साधारण परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत उक्त सरल क्र. 01 से 04 तक अंकित कार्यपरिषद् द्वारा अनुमोदित नियमों/अध्यादेशों के प्रारूप का अनुमोदन कर दिनांक 1 अप्रैल 2016 से लागू करने की अनुमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा 6 : वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 की आय–व्यय का विवरण साधारण परिषद् के समक्ष रखा जाना।

वित्तीय वर्ष 2014–15 तथा वित्तीय वर्ष 2015–16 में साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की आय–व्यय का विवरण निम्नानुसार साधारण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया –

स.	वित्तीय वर्ष	आय/शासन से प्राप्त अनुदान	व्यय
01	2014–15	218.00 लाख	243.00 लाख
02	2015–16	972.00 लाख	713.00 लाख

अवगत कराया गया कि–

सरल क्र. 01 पर अंकित वित्तीय वर्ष 2014–15 का आय–व्यय पत्रक वित्त समिति के समक्ष रखा जाकर अनुमोदन प्राप्त किया जा चुका है। जबकि वित्तीय वर्ष 2015–16 का आय–व्यय पत्रक वित्त समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जावेगा।

साधारण परिषद् द्वारा आय–व्यय विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा 7 : सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त करने सबंधी कार्यपरिषद् की अनुशंसा पर विचार।

विश्वविद्यालय के विभिन्न स्कूलों, विभागों, संकायों में अध्ययन–अध्यापन हेतु सहायक प्राध्यापक के कुल 70 पद स्वीकृत हैं। साधारण परिषद् द्वारा प्रथम बैठक में सहायक प्राध्यापक पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गयी है।

कार्यपरिषद् द्वारा सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त करने पर विचार करने हेतु प्रकरण साधारण परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने की अनुशंसा की गयी।

साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत निर्णय लिया गया, कि विश्वविद्यालय में उच्च कोटि के अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति में अधिकतम आयु सीमा का बंधन समाप्त कर योग्य उम्मीदवारों नियुक्ति किया जावे।

एजेण्डा 8 : विश्वविद्यालय के अधिकारियों–कर्मचारियो हेतु अन्य विश्वविद्यालय के समान परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने तथा नियोक्ता अंशदान के संबंध में विचार।

साधारण परिषद् द्वारा विचारोपरांत मध्यप्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन अन्य विश्वविद्यालयों के समान साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में नियुक्त नियमित अधिकारियों–कर्मचारियों (वर्तमान कुल स्वीकृत पद 351) हेतु परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना लागू करने संबंधी नीतिगत निर्णय लिया गया। नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत कर्मचारी अंशदान कटौत्री अधिकारी/कर्मचारी के वेतन से तथा नियोक्ता अंशदान का भुगतान नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा करने की अनुमति प्रदान की गयी।

एजेण्डा 9 : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार।

1. विश्वविद्यालय में अन्य देशों के अध्ययन केंद्र की स्थापना हेतु वर्तमान आवंटित भूमि से लगी हुई 20 एकड़ भूमि की मांग मध्यप्रदेश शासन से की गयी है। मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रकरण में त्वरित कार्यवाही कर समय सीमा में विश्वविद्यालय को वर्तमान आवंटित भूमि से लगी हुई 20 एकड़ भूमि का आवंटन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये।

2. अन्य देशों की अध्ययन केंद्र स्थापना संबंधी नीति तैयार करने हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये गये। ताकि अन्य देशों के अध्ययन केंद्रों के विश्वविद्यालय से अकादमिक संबंध एवं Terms and Condition को अंतिम रूप दिया जा सके।

3. विश्वविद्यालय परिसर में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हलाली बांध में उपलब्ध जल, नहर के माध्यम से विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने एवं पेयजल हेतु नगर पालिका रायसेन द्वारा बिछायी जा रही पाइप लाइन के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित कर समस्त कार्यवाही साधारण परिषद् की अगली बैठक के पूर्व पूर्ण करने के निर्देश मुख्यमंत्री महोदय द्वारा प्रदान किये गये।

4. चीनी भाषा के प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों तथा भारत सरकार के संस्थानों की रूचि को देखते हुए विश्वविद्यालय की पहल पर विश्वविद्यालय को बधाई दी। साधारण परिषद् के अध्यक्ष महोदय द्वारा इस पाठ्यक्रम में अभूतपूर्व प्रतिउत्तर को देखते हुए समस्त इच्छुक विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश प्रदान करने के निर्देश दिये। साधारण परिषद् द्वारा भविष्य में समान प्रकृति के पाठ्यक्रम तैयार कर संपादित करने के निर्देश दिये।

5. साधारण परिषद् द्वारा चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में बौद्ध–भारतीय ज्ञान तथा इससे संलग्न अंतर्विषयी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए सभी विषयों के विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु उपयुक्त वातावरण तैयार किया जावे।

   मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस बात पर जोर दिया गया, कि विश्वविद्यालय में प्रत्येक स्तर पर चयन का आधार योग्यता होना चाहिए।

6. साधारण परिषद् द्वारा निम्न संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित अकादमिक सम्मेलनों का आयोजन साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में करने की स्वीकृति प्रदान की गयी

   (अ) Indian Philosophical Congress
   (ब) Asian Philosophical Congress
   (स) भारतीय दर्शन शास्त्र परिषद्

7. साधारण परिषद् द्वारा चतुर्थ अंतराष्ट्रीय धर्म–धम्म सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2016 में करने के प्रस्ताव तथा इंडिया फाउंडेशन, नई दिल्ली को सम्मेलन का को–आर्गनाइजर नियुक्त करने संबंधी प्रस्ताव का अनुमोदन किया ।

8. साधारण परिषद् द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय में अयोजित प्रत्येक अकादमिक सम्मेलन का कार्यवाही/अनुशंसा वृत समय सीमा में प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

साधारण परिषद् के अध्यक्ष द्वारा उपस्थित सदस्यों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापन सहित बैठक समाप्त हुई।

(मनोज श्रीवास्तव)
सदस्य–सचिव/कुलपति
साधारण परिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय

(शिवराज सिंह चौहान)
अध्यक्ष, साधारण परिषद्
साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय
एवं मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन